



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 812]
No. 812]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 16, 2008/ज्येष्ठ 26, 1930
NEW DELHI, MONDAY, JUNE 16, 2008/JYAISTHA 26, 1930

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जून, 2008

दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों के विनियमन के विनियम
(दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा-57 के अंतर्गत)

का.आ. 1452(अ).—दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण, केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्वारा, दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों के विनियमन के लिए विनियमों—जो सं. का.आ. 683(अ) दिनांक 24-3-2008 के माध्यम से अधिसूचना सं. एफ. 3(11)2004/एम.पी./पार्ट-I द्वारा अधिसूचित किए गए थे, में निम्नलिखित संशोधन करता है :—

संशोधन :—

उप-खंड 4.5.3 (घचनबंध) के बाद निम्नलिखित उप-खंड जोड़े जाएंगे :—

- "4.6.1 किसी कॉलोनी के निवासियों द्वारा विनियमों के खण्ड 4 की अपेक्षाओं की पूर्ति किए जाने के तुरन्त बाद, उ.रा.क्षे. दिल्ली सरकार उस अनधिकृत कॉलोनी को अनन्तिम विनियमन प्रमाण-पत्र जारी कर सकती है। स्थानीय निकाय/दि.वि.प्रा. एवं रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार, अनन्तिम प्रमाण-पत्र जारी होने की तिथि से 12 माह की अवधि के अन्दर विनियमों के खण्ड 5 के अंतर्गत यथा निर्धारित अनधिकृत कॉलोनी के औपचारिक विनियमन से पूर्व निर्धारित औपचारिकताओं की पूर्ति करेंगे। उपराज्यपाल, दिल्ली विनियमों के खंड 5.11 के प्रावधानों के अनुसार पृथक कॉलोनियों के संबंध में समय-सीमा में छूट दे सकते हैं।
- 4.6.2 तथापि, यह प्रमाण पत्र समूह वर्गों द्वारा नसाई गई अनधिकृत कॉलोनी/आवासों को जारी नहीं किया जा सकता।
- 4.6.3 तथापि, इन कॉलोनियों का अंतिम रूप से सीमांकन विनियमों के खण्ड 3 में शामिल अपेक्षाओं सहित सभी अपेक्षित औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद ही उ.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा नियत किया जाएगा।"

[सं. एफ. 3(11)2004/एम.पी./पार्ट-I]

विश्व मोहन बंसल, प्रधान आनुकूल एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th June, 2008

Regulations for Regularization of Unauthorized Colonies in Delhi
(Under Section 57 of DD Act, 1957)

S.O. 1452(E).—In exercise of power conferred by Section 57 of Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) the Delhi Development Authority with the prior approval of Central Government hereby makes following Amendments in Regulations for Regularization of unauthorized colonies in Delhi which were notified *vide* Notification No. F. 3(1)2004/MP/Part 1 *vide* No. S.O. 683 (E) dated 24-3-2008.

Amendments :—

The following Sub-clauses shall be added after Sub-clause 4.5.3 (Undertakings) :—

- “4.6.1 Soon after the requirements of Clause 4 of the Regulations are fulfilled by the residents of the colony, the GNCTD may issue a provisional regularization certificate to that unauthorized colony. The local body/DDA and GNCTD would complete the prescribed formalities before formal regularization of the unauthorized colony as prescribed under Clause 5 of the Regulations within a period of 12 months from the date of issue of the Provisional Certificate. Lt. Governor, Delhi may relax the time limit in respect of individual colonies as provided in Clause 5.11 of the Regulations.
- 4.6.2 However, this certificate cannot be issued to unauthorized colony/habitations inhabited by affluent sections.
- 4.6.3 However, the final boundary of these colonies would be fixed by the GNCTD only after completing all requisite formalities including those in Clause 3 of the Regulations.”

[No. F. 3(1) 2004/MP/Part 1]

V. M. BANSAL, Pr. Commr.-cum-Secy.